

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खीवसर...

चुतरीदेवी बनाम भोमाराम

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद बंटवाडा, खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा वाद अधीन

धारा 53,88,188 आरटीएक्ट

मु. नं..26 .सन्..2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज

02.02.2018

नम्बर व तारीख
अहकाम की
तामील में जारी
हुए

वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । जो दर्ज रजिस्टर हो, तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.03.2018 को पेश हो।

Handwritten signature

सहायक कलक्टर
खीवसर

22/3

पक्षकार/पक्षकारान क संबंधकता उपस्थित

पक्षकारों के पेश होने पर प्रमाण/पत्रावली के द्वारा पत्रावली पर गये हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 25/2 को प्रस्तुत हो।

15/7

पक्षकारों के उक्त काल में उपस्थित, विरुद्ध पक्षकार/अनुपस्थित। प्रकरण को न्याय दाल में पेश करने हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। प्रमाण लाकर अदालत में पेश किया जात है। पक्षकारानादि को 2/5 को अदालत में पेश करने हेतु न्याय दाल में पत्रावली प्रस्तुत है।

Handwritten signature
अध्यक्ष
जीक अदालत
खीवसर

2/5

उक्त प्रकरण आज राजस्व लाकर अदालत आपक द्वार, कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान को प्रकरण पत्रावली करने हेतु सम्बन्धित पत्रावली पत्रकारों के पेश करने के लिए प्रमाण हेतु पत्रावली नहीं हो पाई। अतः प्रकरण अदालत में दिनांक 16/7/18 को पेश हो

Handwritten signature
पी.सी.सी. अधिकारी
न्याय आपक द्वार
कम्प कोर्ट

16/7

पक्षकार/पक्षकारान क संबंधकता उपस्थित

पी.सी.सी. अधिकारी जी प्रमाण/पत्रावली के द्वारा पत्रावली पर गये हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 26/7 को प्रस्तुत हो।

28/9/22

पत्रावली पत्र हुई।
पंजाबी अधिकारी जो पीठिय में/
भ्रष्टाचार/म हे/ स्थानान्तरण हो चुका है/
अवकाश पा गये हुए है। पत्रावली आगामी
दिनांक 7/10/22 को जारी

7/12/22

पत्रावली पेश हुई। लड़कियों-उपरी वाली-सिपही-
को व्यापार्य में छार-छार आवाज दिखानी
जसी, छार में हाजिर। इन व्यापार्य में
छार-छार आवाज देने के कारण भी छार-
की वाली-उपरी उपस्थित तरी के बने-
कारण जेठे विड्ड खुब पक्षीय कार्यवाही अन्त
में लानी गयी है। वही-उपरी के निवेदन
को लक्षात् कि में छार एक अरुण में-
पैरवी वाली सुना सादर रजा खोजि अन्त
सादर है। इन वही-उपरी के निवेदन-
पर उक्त छार के अन्त पैरवी-अन्त
हाजरी में खोजि किया जाय है। वही
के निवेदन पर पुनः पत्रावली को Refere
मा Reopen किया जा सकय है।

पत्रावली फैमल सुमार गेबल, नम्बर
ने कम गेबल छार जाय दारिअल (पत्र
है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O), बीवसर